मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–मु0अ0–01 / प्रा0–04–72 / 25 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

मुख्य अभियंता–1
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **छपरा।**

विषय– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **छपरा–1** के अधीन शीर्ष **MMGSUY** के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कुल **27 (सताईस) अदद योजनाओं का पुनर्निमाण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक)** कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग–आपका पत्रांक **904** अनु0 दिनांक **17.07.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल **27 (सताईस)** अदद पथों का प्राक्कलन प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथों का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि क्रमशः परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
3. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगें।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल /पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अचंल, **छपरा** ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–1 के अधीन शीर्ष **MMGSUY (RRSMP-GEN)** अन्तर्गत प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत योजनाओं की सूची:–

क्र0 स0	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि (निर्माण, अनुरक्षण, आकस्मिक एवं प्रशासनिक कार्य) (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (निर्माण, अनुरक्षण, आकस्मिक एवं प्रशासनिक कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block:-Chapra (Sadar), Repair of road from NH-102 Jasosati Pokhra to Mobarakpur	0.800	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	90.140	79.418
2	Block:-Chapra (Sadar), L046 Badlutola to Badlutol Basahia	1.500	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	97.920	86.560
3	Block:-Chapra (Sadar), T05 NH 102 se Manger Tola Mahamanda	1.500	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	87.670	77.864
4	Block:-Chapra (Sadar), NH 19 Road se to Harijan Tola Tak	0.800	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	89.940	79.235
5	Block:-Rivilganj, Nayka Bazar Bivilganj Main Road to Kuri Chapra Hote Kharwar Tola Tak Ganga Rai	1.300	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	88.400	78.164
6	Block:-Manjhi, NH-85 se to Soniya Brahman Tola	1.310	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	97.170	85.118
7	Block:-Manjhi, NH 85 Dumduma se to Kaniya Hingh School Daudpur Miya Tola	2.100	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	114.160	99.984
8	Block:-Manjhi, T07 Koharha to Tola Balokhara	1.100	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	82.600	72.386
9	Block:-Manjhi, NH-85 Railway Dhala Se to Harijan Tola	1.950	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	122.040	106.908
10	Block:-Manjhi, T06 Manjhi Garh Bazar To Manjhi Miya Tola	1.600	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	93.450	81.866
11	Block:-Nagra, Repair of Dumri Nagra Road Via Morar Chapra Road	3.000	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	189.310	165.818
12	Block:-Nagra, T05 Sargatii PMGSY To Takiya	1.970	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	131.930	115.571
13	Block:-Nagra, T01 Tetarpur PMGSY (Chimni Bhatta) to Jahanpur	2.060	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	136.950	119.966
14	Block:-Nagra, Chapra- Marhaura Path To Bangra Ahir Tola	1.510	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	96.500	84.537
15	Block:-Nagra, Chapra Mashrakh PWD Path (Yogandra Singh ke Ghar) to Affor Purab toli	2.160	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	152.930	133.975
16	Block:-Nagra, T05 Nagra Garkha Path (Ghakmako Shiv Mandir) to	1.800	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	117.850	103.226

	Basdila				
17	Block:-Garkha, Repair of Road from Rampur, Adhupur, Baikunthpur, Jagdishpur to Chintamanganj road	7.700	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	562.080	492.052
18	Block:-Garkha, Hakma Kabrishtan Main Road To Garkha Chirand main road Hote hue Garkha Girl Middle school tak	1.450	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	93.270	81.695
19	Block:-Garkha, Sivrahia Sima to Pirauna Dih	1.900	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	128.800	112.834
20	Block:-Garkha, L037 Mura Pul to Chout Jhuwa	1.560	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	177.190	155.107
21	Block:-Garkha, Repair of road from Aloni to Repura	6.570	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	533.540	467.087
22	Block:-Garkha, Garkha Chirand road to Pirari Hote hue Zilkhand Sharkhan Bandh Tak	2.300	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	138.170	121.028
23	Block:-Garkha, Zilkabad PCC to Zilkabad Mathiya	1.670	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	111.068	97.289
24	Block:-Garkha, Rampur PMGSY road to Rustampur hote hue Harijan tola	1.570	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	102.770	90.027
25	Block:-Rivilganj, Repair of road from Jiganpur to Biramparsa bridge Muhabbatparsa Bridge	3.630	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	236.580	242.404
26	Block:-Chapra (Sadar), NH-19 Road To Sherpur Ganga Nadi Via Sherpur Chamar Tola	2.100	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	109.830	112.116
27	Block:-Manjhi, MMGSY road Jaitpur to Dudhaila	1.500	Letter N0-2448 Date-27.06.2025	98.441	86.015

अनु0– स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह0 / –

मुख्य अभियंता–1

ज्ञापांकः– 1287 पटना, दिनांकः– 18/07/2025

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **छपरा–1** को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/07/25

मुख्य अभियंता–1

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नामः– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ **02** के अनुसार।

प्रशासनिक स्वीकृतिः– परिशिष्ट **'क'** के स्तम्भ **05** के अनुसार।

T/SH 346
18/07/25

विवरणी

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट **'क'** के स्तम्भ **06** में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारत्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य **अंचल, छपरा** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं यह सुनिश्चि करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार–प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगीः–

   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण

   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारीयों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जॉच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत समाग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20)-72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वंय निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात हीं आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामाग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरांत हीं निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।

17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य से किसी भी तरह से **शीर्ष MMGSUY** की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय–समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।

18. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।

19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।

20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।

21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें की एच0एफ0एल0 बाढ स्तर के अनुरूप हो।

22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन–।। के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।

23. जिन कार्यो का दर अनुसुचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदाधिकारीयों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।

24. पूर्व में कराए गए कार्यो से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।

25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।

26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वंय कर प्रमाण–पत्र देगें।

27. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक ऑकड़ो को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरांत हीं कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।

28. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।

29. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों को यथावत रखा गया है।

30. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण समाग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्डर इत्यादि) की ढुलाई निकटस्त अनुमोदित खादान से हीं देय होगी।

31. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहॉ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

विश्वासभाजन

18/07/18

मुख्य अभियंता–1
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।